न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—362/2015/223 (2015/00288)

1. ईश्वर सिंह पुत्र सांवतसिंह, जाति राजपूत, निवासी डोगरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. मदनसिंह,
2. मोहनसिंह,
3. सत्यनारायण सिंह,
   पुत्रान सांवत सिंह, समस्त जाति राजपूत, नि0 डोगरा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
4. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर, दूदू, जिला जयपुर दिनांक 28.4.2015 अंतर्गत वाद संख्या 41/2015.

उपस्थितः—

1. श्री विरेन्द्र सिंह खंगारोत, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट संख्या 4.

निर्णय

दिनांक :—20.08.2018

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, दूदू जिला जयपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.4.2015 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 3 ने अधी0न्याया0 में एक वाद बाबत् घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 एवं रेस्पो0 संख्या 4 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के आराजी खाता संख्या 87 के आराजी खसरा नंबर 59, 60, 403, 533, 560, 628, 629, 630, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 651, 652, 653, 656, 734, 838, 839 कुल किता 21 कुल रकबा 7.59 है0 आराजियात जो वर्तमान में मदनसिंह पुत्र सांवतसिंह के नाम से है, खतौनी संख्या 89 के आराजी खसरा नंबर 93, 95,97,194, 195, 196, 197, 361, 405, 406 जो कि वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, खतौनी संख्या 98 के खसरा नंबर 61, 463, 531, 553, 585, 591, 592, 593, 660, 661, 662, 663,

664, 666 कुल किता 14 कुल रकबा 6.32 है0 भ्झूमि वाकेग्राम डोगरा, तहसील मौजमाबाद में स्थित है जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की पैतृक आराजियात है । वादीगण व प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई है । विवादित आराजियात स्व0 सांवतसिंह की रही है, जब तक सांवतसिंह जीवित रहे संपूर्ण आराजियात पर अकेले काबिज रहे एवं उनकी मृत्यु के उपरांत वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक अपने 1/4 हिस्से पर काबिज है । विवादित आराजियात सांवतसिंह की खातेदारी की थी परन्तु सांवतसिंह ने मौखिक बख्शीश दर्शाते हुए नामांतकरण संख्या 29 के द्वारा दिनांक 22.9.1960 को खतौनी संख्या 87 में दर्ज आराजियात को मदनसिंह के नपाम व खतौनी संख्या 98 में दर्ज आराजियात को मोहनसिंह के नाम दर्ज करवा दिया जो विधिसम्मत् नहीं था । विवादित आराजियात सांवतसिंह की पैतृक आराजियात थी, जो उन्हें मोहनसिंह से प्राप्त हुई थी, जिसमें वादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है, इसलिये बख्शीश करने का सांवतसिंह को विधिक अधिकार नहीं था, न ही तथाकथित बख्शीश के आधार पर दिनांक 22.9.1960 को कब्जा अंतरित हुआ था, ऐसी स्थिति में तथाकथित बख्शीश प्रारंभ से ही शून्य है एवं इसके आधार पर प्रतिवादीगण को कोई अधिकार सृजित नहीं होते है। विवादित आराजियात में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा है । अतः वाद में चाहे अनुतोष अनुसार वादी डिक्री किये जाने के आदेश प्रदान करावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 28.4.2015 को पारित कर वाद में चाहे हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने के आदेश पारित किये तथा तहसीलदार, मौजमाबाद को आदेश दिये कि निर्णय की पालना में घोषित हिस्से की नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी वसूल की जाकर रिपोर्ट भिजवाये। अधी0न्याया0 के इस निर्णय एवं डिक्री आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांट ने ने सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय दिनांक 28.4. 2015 को सुनाया गया था एवं शीघ्र ही अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा नकल हेतु आवेदन कर दिया गया था किन्तु समय पर नकल प्राप्त नहीं होने पर अपीलांट जो कि बाहर नौकरी करता है चला गया । दो माह बाद नकल प्राप्त होने पर अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट को सूचित किया तब अपीलांट अवकाश लेकर आया किन्तु अन्य भाईयों के व्यावसायिक कार्यो से बाहर चले जाने पर अपीलांट ने अकेले ही यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में मात्र 8 दिन का विलंब है तथा उक्त विलंब अपीलांट द्वारा जानबूझकर नहीं किया गया है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

4. प्रकरण में गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री पारित करते समय मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की अवहेलना की है । अधी0न्याया0 के लिये विधि अनुसार यह आवश्यक था कि यदि उन्होंने राजीनामें को सही माना है तो राजीनामे के अनुसार ही डिक्री पारित होनी चाहिये थी यदि राजीनामे को नहीं माना जाता है तो साक्ष्य लेकर दावे को डिक्री या खारिज किया जा सकता किन्तु अधी0न्याया0 ने मनमाने तारीके से स्टाम्प ड्यूटी राजकोष में जमा कराने के आदेश कर दिय जो विधिसम्मत् नहीं है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित

आराजियात के खातेदार सांवतसिंह थे जिन्हें विवादित आराजियात पिता मोती सिंह से प्राप्त हुई थी । अपीलांट एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 मोती सिंह के पौत्र है जिनका जन्म से विवादित आराजियात में अधिकार निहित है । पैतृक भूमि को सांवतसिंह को अपने हिस्से से अधिक भूमि को बख्शीश करने का अधिकार नहीं था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने बख्शीश को सही मानने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 में प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार कोई आपत्ति नहीं किये जाने के बावजूद अधी0न्याया0 ने मनमर्जी से स्टाम्प ड्यूटी के आदेश पारित किये है जो विधिविरूद्ध है । अधी0न्याया0 में वाद घोषणा एवं बंटवारा का प्रस्तुत हुआ था जिसको सशर्त डिक्री किया गया है जबकि विधि में सशर्त डिक्री करने का कोई प्रावधान नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.4.2015 को अपास्त किया जावे तथा स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित निर्देशों को हजब कर नये सिरे से निर्णय व डिक्री करने के आदेश प्रदान करे ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । पूर्व में बख्शीशनामे के अनुसार पक्षकारान के पक्ष में नामांतकरण तस्दीक हो चुके है । अब अपीलांट एवं रेस्पो0 विवादित आराजियात का बंटवारे की आड़ में हस्तातंरण करना चाहते है । अधी0न्याया0 द्वारा स्टाम्प ड्यूटी वसूल किये जाने का आदेश विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । मियाद के बिन्दु से किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है इसलिये हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपल अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर रिकॉर्ड के अवलोकन से जाहिर है अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस के मध्य राजीनामा हुआ है जिसे अधी0न्याया0 द्वारा तस्दीक भी किया गया है तथा राजीनामे को विधिक प्रावधानों के तहत मानते हुए प्रकरण को डिक्री भी किया गया है जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है किन्तु अधी0न्यायालय द्वारा राजीनामा को विधिपूर्ण मानने के बावजूद प्रकरण में राजस्व शुल्क को बचाना प्रतीत होना मानते हुए वाद को इस शर्त पर डिक्री किया जाना कि वादीगण नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी राजकोष में जमा करायें । इस बाबत् कानूनी स्थिति स्पष्ट भी स्पष्ट नहीं है । प्रथमतः प्रकरण में राजस्व शुल्क बचाने बाबत उल्लेख किया गया है, किन्तु किस प्रकार स्टाम्प ड्यूटी बचाई जा रही है, इसे स्पष्ट नहीं किया गया है, यदि ऐसा थ तो स्थिति स्पष्ट करते हुए विधिक प्रावधानों के तहत नियमानुसार कितनी राशि बनती है, को स्पष्ट करते हुए उसे जमा कराने बाबत् स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये था ।

8. इसके साथ ही एक और अधी0न्याया0 राजीनामा को विधिपूर्ण मानते हुए प्रकरण को डिक्री योग्य मानता है तथा प्रकरण में राजस्व बचाने की बात का कथन करते हुए स्टॉम्प ड्यूटी लगाने की शर्त आरोपित करता है । ये दोनों चीजें विरोधाभाष को प्रकट करती है ।

9. अतः उक्त परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर स्टाम्प ड्यूटी की पालना पर दावा डिक्री की शर्त पर कानूनी विवेचन

कर पूर्ण विधिक स्थिति स्पष्ट करते हुए अपना निर्णय इस बिन्दु पर पुनः पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है ।

10. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर, दूदू जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.4.2015 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये ऑब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि स्टाम्प ड्यूटी की पालना पर दावा डिक्री की शर्त पर कानूनी विवेचन कर पूर्ण विधिक स्थिति स्पष्ट करते हुए अपना निर्णय इस बिन्दु पर पुनः पारित करे ।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 20.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर